कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर, जिला–जशपुर(छ.ग.)

// महत्वपूर्ण सूचना //

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर, जिला–जशपुर(छ.ग.) द्वारा **स्टेनोग्राफर हिन्दी(नियमित), स्टेनोग्राफर अंग्रेजी(नियमित), सहायक ग्रेड–03 (नियमित)** तथा **कोर्ट मैनेजर अमले के लिए संविदा** स्टेनोग्राफर एवं संविदा सहायक ग्रेड–03 के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में **प्रारंभिक(स्क्रीनिंग) परीक्षा की संभावित तिथि 10 अगस्त 2024** की सूचना **कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर के शासकीय वेबसाईट पर** अपलोड़ की जा चुकी हैं ।

विभिन्न पदों पर भर्ती के संबंध में, एक ही **प्रारंभिक(स्क्रीनिंग) परीक्षा** का आयोजन किया जाना है । कई अभ्यर्थियों द्वारा, **एक से अधिक पदों हेतु तथा एक ही पद हेतु भी एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं,** ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक पद के लिए, प्रत्येक आवेदन के संबंध में पृथक–पृथक पंजीयन नंबर भी आबंटित किये गये हैं । चूँकि सभी पदों हेतु एक ही प्रारंभिक(स्क्रीनिंग) परीक्षा का आयोजन, एक ही परीक्षा तिथि को किया जाना है, ऐसी स्थिति में एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों तथा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों की नवीन सूची तैयार की जाकर, **समस्त पात्र 4,911 अभ्यर्थियों को मात्र प्रारंभिक(स्क्रीनिंग) परीक्षा में सम्मिलित होने के उद्देश्य से नवीन अनुक्रमांक आबंटित किये गये हैं ।**

प्रारंभिक(स्क्रीनिंग) परीक्षा 2024 हेतु अभ्यर्थियों को आबंटित नवीन अनुक्रमांक के संबंध में किसी भी पात्र अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, उसके द्वारा सूची अपलोड किये जाने के **07 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 26.07.2024 के संध्या 5:00 बजे तक** कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर के शासकीय ई–मेल आई.डी.–**courtjashpur@gmail.com के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर, जिला–जशपुर(छ.ग.) में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत** किये जाने पर, उसका निराकरण किया जा सकेगा, **07 दिवस पश्चात् विलम्ब से प्रस्तुत किसी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।**

विभिन्न पदों पर भर्ती के संबंध में, एक से अधिक पद पर आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा **प्रारंभिक(स्क्रीनिंग) परीक्षा में प्राप्त किये गये प्राप्तांकों को, उनके द्वारा आवेदित समस्त पदों के संबंध में पढ़ा जावेगा ।**

अभ्यर्थियों का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि – केवल उन्हीं अभ्यर्थी के दावा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा, जिनका नाम अंतिम पात्र सूची, जिसे पूर्व में कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड की गई थी, में उल्लेखित है । अंतिम पात्र सूची से भिन्न आवेदक/अभ्यर्थी द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत करने पर, उस पर विचार नहीं किया जावेगा ।

स्थान– जशपुर ।
दिनांक–19.07.2024

सही/–
अध्यक्ष, चयन समिति
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जशपुर(छ.ग.)